खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर (राजस्थान)

एफए. प्रकरण संख्या : 0026 / 2017

सवाई सिंह राजपुरोहित पुत्रश्री चतुरसिंह राजपुरोहित (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स जोधपुर स्वीट एण्ड बेकरी, पता शॉप नं. 26, जगदीश विहार, कच्ची बस्ती, बस स्टेण्ड, जगतपुरा, जयपुर (राज.) निवासी ग्राम पोस्ट चामुण्डा तहसील मण्डोर जिला जोधपुर (राज.)

——अपीलार्थी

विरूद्व

सरकार जरिए श्री रतनलाल वर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर (राज.)

——प्रत्यर्थी

उपस्थितः—

1. श्री एस. के. मुरड़िया एवं श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला, राजकीय अधिवक्ता प्रत्यर्थी

:: निर्णय :: **दिनांक : 10.10.2017**

1. यह अपील योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी, जयपुर शहर पूर्व, जयपुर के आदेश दिनांक 22.02.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है जो उनके द्वारा उनके प्रकरण संख्या 97 / 2016 सरकार बनाम सवाई सिंह में पारित किया गया जिसके द्वारा अपीलान्ट पर 50,000 रूपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

2. तथ्यों के अनुसार यह बताया गया है कि श्री रतनलाल वर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जयपुर ने दिनांक 19.03.2016 को अपीलार्थी की दुकान मैसर्स जोधपुर स्वीट एण्ड बेकरी, शॉप नं. 26 जगदीश विहार कच्ची बस्ती, बस स्टेण्ड, जगतपुरा में खाद्य पदार्थ कलाकंद (मावा मिठाई) का सैम्पल खरीद किया गया था। उक्त कलाकंद आमजन को विक्रय के लिए दुकान में था। उक्त सैम्पल बाद जांच सब स्टेण्डर्ड पाया गया, जिसपर अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति दिनांक 01.04.2016 को प्रेषित की गई।

3. यह बताया गया कि अपीलार्थी ने जांच रिपोर्ट के विरूद्व कोई अपील प्रस्तावित नहीं की। तत्पश्चात सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर अपीलार्थी के विरूद्व परिवाद योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष दिनांक 27.12.2016 को प्रस्तुत किया।

4. सुनवाई तारीख 31.01.2017 को अपीलार्थी बावजूद तामील नोटिस के उपस्थित नहीं हुआ जिसपर उसके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर दिनांक 22.02.2017 को आलौच्य आदेश पारित किया गया।

5. अपील का मुख्य आधार यह लिया गया है कि आलौच्य आदेश मनमाना एवं विधि विरूद्व है। अपीलार्थी को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ और न ही अपीलार्थी को किसी जांच रिपोर्ट का नोटिस प्राप्त हुआ। प्रथम पेशी पर ही एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

6. प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत कर आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

7. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। सुसंगत विधि का विवेचन किया।

8. योग्य अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी ने अपील में उल्लेखित तर्को की पुनरावृति की और तर्क रखा कि अपीलार्थी को परिवाद प्रस्तुत होने की सूचना नहीं मिली और न ही उसे जांच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त हुई। आदेश जल्दबाजी में मनमाना पारित किया गया है जिसे अपास्त किया जाए। अपीलार्थी को सुनवाई का पूरा मौका दिया जाए।

9. योग्य अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थी ने आलौच्य आदेश की संपुष्टि किए जाने का निवेदन किया।

10. अवधार्य बिन्दु :––

''आया योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी जयपुर शहर पूर्व, जयपुर ने आलौच्य आदेश दिनांक 22.02.2017 को पारित करने में तथ्य एवं विधि की भूल की है?''

11. विनिश्चयः–– अपीलार्थी के विरूद्व तय किया जाता है।

12. विनिश्चय के कारणः––

13. अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसे परिवाद पेश करने की

सूचना नहीं मिली जबकि मूल पत्रावली में अपीलार्थी को नोटिस व्यक्तिगत रूप से तामील होना परिलक्षित होता है और नोटिस की प्रति पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर है। अपीलार्थी का यह कथन नहीं रहा कि नोटिस पर जो हस्ताक्षर है वह उसके नहीं हो। अलावा इसके आलौच्य आदेश की सूचना पत्र पर भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर है।

14. आलौच्य आदेश की नकल प्राप्त करने का आवेदन भी अपीलार्थी की ओर से योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष दिनांक 22.03.2017 को प्रस्तुत किया है जो नकल उसे दिनांक 23.03.2017 को प्राप्त हो गई। उस दिन भी अपीलार्थी योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकता था कि उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही गलत रूप से की गई है, उसे कोई नोटिस नहीं मिला है। अतः दिनांक 31.01.2017 को अपीलार्थी के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने में योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने तथ्य एवं विधि की कोई भूल नहीं की है।

15. अपीलार्थी बिना किसी उचित एवं पर्याप्त कारण के अनुपस्थित रहा, यह इस तथ्य से भी प्रदर्शित होता है कि अपील में अपीलार्थी का यह कथन रहा कि वह किसी कारण के उपस्थित नहीं हो सका था। क्या कारण था उसे स्पष्ट नहीं किया है।

16. जहां तक आलौच्य आदेश का प्रश्न है, अपीलार्थी से खाद्य पदार्थ का नमूना लिया गया था, उसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 01.04.2016 के अनुसार सैम्पल सब स्टेण्डर्ड था। क्योंकि जांच रिपोर्ट की सारणी के मद सं.07 के अनुसार B.R. Reading of extracted fat at 40º C. का निष्कर्ष 47.9 पाया गया जबकि तय मानक अनुसार 40.0 to 44.0 (Milk Fat) होना चाहिए। अपीलार्थी को जांच रिपोर्ट की प्रति भी प्रेषित की गई थी। B.R. Reading का मानक से अधिक होना यह प्रदर्शित करता है कि विक्रित खाद्य पदार्थ में किसी Vegetable oil का मिश्रण किया हुआ है क्योंकि मिश्रित दूध में अधिकतम B.R. Reading 40.0 सेन्टीग्रेड पर 40.0 to 44.0 होती है। Vegetable oil की B.R. Reading अधिक होती है। हस्तगत प्रकरण में B.R. Reading **47.9** थी जिस कारण सैम्पल को सब स्टेण्डर्ड माना। सैम्पल लेने में एवं उसे सुरक्षित रूप

से जांच के लिए भेजने में कोई सारभूत प्रक्रियात्मक त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में आलौच्य आदेश पारित करने में योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने तथ्यों एवं विधि की कोई भूल नहीं की है।

17. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी कच्ची बस्ती में छोटी दुकान करता है। सैम्पल खाने के लिए असुरक्षित नहीं पाया गया है। इस कारण आरोपित की गई शास्ति अधिक है।

18. ऐसे प्रकरणों में अधिकतम शास्ति पांच लाख रूपये की अधिरोपित की जा सकती है एवं योग्य न्याय निर्णायक अधिकारी ने प्रावधानित अधिकतम शास्ति की केवल 10 प्रतिशत शास्ति अधिरोपित की है जिसे अधिक नहीं कहा जा सकता। फिर भी प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में शास्ति को 50,000 (पचास हजार) रूपये के स्थान पर 40,000 (चालीस हजार) रूपये अधिरोपित की जाती है।

:: आदेश ::

अतः अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है परन्तु अधिरोपित शास्ति 50,000 (पचास हजार) रूपये के स्थान पर 40,000 (चालीस हजार) रूपये रहेगी। निर्णय की एक प्रति अपीलार्थी को निःशुल्क प्रेषित की जावे।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 10.10.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर